पत्र संख्याः—15/एम 1—34/2015 — 1055
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 05/6/2015

विषयः— मगध महाविद्यालय, शकूराबाद, जहानाबाद का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय पत्रांक—G III A/379/14 दिनांक—12.06.2014 के द्वारा मगध महाविद्यालय, शकूराबाद, जहानाबाद के कतिपय विषयों में संबंधन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—1098 दिनांक—19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदन/अभिलेख अप्राप्त है।

(1) इस महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में पढ़ रहे छात्रों की संख्या।

(2) संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृत विषयों में पुस्तकों की संख्या मानक से कम है।

(3) विगत तीन वर्षों में उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं संख्या।

(4) महाविद्यालय के द्वारा संबंधन प्राप्त किये जाने के संबंध में परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन सुरक्षित कोष में जमा राशि 70,000/—रू0 मात्र है जो मानक से कम है।

अतः परिनियमानुसार शेष सुरक्षित राशि एक माह के अन्दर जमा कराते हुए शेष कंडिकाओं से संबंधित प्रतिवेदन भी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधन प्रस्ताव पर विभाग द्वारा अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

5/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

RAJESH